

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी / उपखण्ड मजिस्ट्रेट निवाइ टोंक

उनवान मांगीलाल बनाम सुदामा वगै

किस्म मुकदमा : प्रा0पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर 79/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	------------------------------------	---

20.03.25 मूल वाद के साथ प्रार्थना पत्र अधिवक्ता श्री कौशल किशोर जाट ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। कार्यालय से रिपोर्ट होकर प्राप्त हुआ। अवलोकन किया गया। दर्ज रजिस्टर किया जावे। हमारे द्वारा मजमून प्रार्थना पत्र इसके साथ संलग्न नकलें राजस्व अभिलेख पर गौर किया गया। एवं प्रथम पक्ष की एकतरफा बहस सूनी गई। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में होने, सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होने तथा अपूर्णिय क्षति की संभावना को देखते हुए अप्रार्थीगण को प्रकरण में आगामी पेशी तक आराजी ख0न0 2979/2 वाके कस्बा निवाइ, पटवार हल्का निवाइ प्रथम तहसील निवाइ में स्थित भूमि में रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति आगामी तारीख पेशी तक बनाए रखने हेतु पाबन्द किया जाता है यदि अप्रार्थीगण को इस आदेश से कोई आपत्ति हो तो हाजिर अदालत होकर पेश करें। तलबी अप्रार्थीगण की जरिए रजि0एडि से की जाकर एवं रजि0 एडि पेश नहीं करने पर यह आदेश स्वतः खारिज समझा जायेगा। पत्रावली आगामी दिनांक 22/4/25 को पेश हो।

255-2564
24/3/25

उपखण्ड अधिकारी
निवाइ (टोंक)

22/4/25

पत्रावली पेश हुई। अवलवायी 2979/2
पत्रावली आगामी तारीख पेश
दिनांक 3/4/25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
निवाइ (टोंक)

6/6
क
वही/आर/सी करे न
फर पक्ष वाक्य उल्लेख वकी
व्यंग्य पक्ष अस्थायी निषेधाज्ञा के
कार्ड दिखा करके पक्ष पक्ष
एक पक्ष पत्रावली मूला वरि
हु 12/4/25 को पेश हुई

मांगीलाल
J.D.
[Signature]

P.T.O.

पुस्तक प्रकाशक की मुद्रा पाठक को
काम दिखने के लिए प्रिंट कर दिया
है। प्रिंट का पत्रिका के अंत
में एक अतिरिक्त प्रतिलिपि रखी
होगी। प्रकाशक द्वारा प्रकाशक
प्रति की गयी है प्रकाशक
प्रति का शुभक होना, प्रकाशक
का होना प्रकाशक का पाठक होना
प्रति का प्रकाशक होना

प्रकाशक अधिकारी
निवाड़ (टोंक)